

Supplementary Agreement From

MMGSY

This agreement, made the 16. Day of March 20.22.... Between Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Rajauli on Behalf of BRRDA, Bihar, Patna[name and address of E yer] (hereinafter called" the Employer") of the one part, and Smt. Vindu Levi, At- New Colony, Hisua, Nawada Regd. 2190834, (hereinafter called "the Contractor" of the other part.) Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Jamui Pakariya To Gaya Nawada in Meskaur Block Under MMGSY (SC).

The Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such Works and the remedying of any defects therein at a cost of Rupees. 7,36,325 = 00 Rupoes Seven Care thirds six thousand there Avoided throoly five conly 15.2470 688 - Rupees Twenty four los seventy thousand Six hurordsed clay elstrooly. Only.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:

- 1. In this agreement, words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the conditions of Contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
- 2. In Consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the Works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the Contract and undertaking routine maintenance for five years.
- 3. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the works and remedying the defects wherein and undertaking routine maintenance for five years, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.
- 4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement, viz
 - (i) Letter of Acceptance;
 - (ii) Notice to proceed with the works;
 - (iii) Contractor's Bid;
 - (iv) Contract Data;
 - (v) Special Conditions of Contract;
 - (vi) General Conditions of Contract;
 - (vii) Specifications;
 - (viii) Drawings;
 - (ix) Bill of Quantities; and
 - (x) Any other documents listed in the Contract Data as forming part of the contract.

In witness whereof the parties thereto have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

Signature of the Contractor
Address:

Executive Engineer
R.WD.(Wor Bi-Piston
Bajand Peril Behalf of
RRDA, Bihar, Patna.

Witness:	
1	2

मुख्य अभियंता- का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पञ्चांक-।।/प्र0-05-117/2020

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता 1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पुर्ण्य अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग.

कार्य अंचल, गया।

/विषय:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली के अधीन शीर्ष MMGSY स्वीकृत 01(एक) पथ के निर्माण कार्य के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः- अधीक्षण अभियंता का पत्रांक 2037 दिनांक 30.11.2021

महाशय

8.

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 01(एक) पथ का प्राक्कलन प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथ का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 03 एवं 05 में अंकित है। 2.

स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन 3. की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।

स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल/पुलियों स्थल के आवश्यकता के 4.

अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।

अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पनी मुख्यालय को 5वीं 5. तिथि को उपलबध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, गया ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर 6. केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की 7. अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जॉच आप स्वयं कर सूचित करेंगें

सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है। 11.

पोरेशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली के अधीन शीर्ष MMGSY पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदर्त की सूची

			्र परा सूपा	- Production	A-0-0-A
क्र0 सं0	1	पथ का नाम प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (निर्माण कार्य+ अनुरक्षण कार्य) (लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (निर्माण कार्य+ अनुरक्षण कार्य) (लाख में)
<u></u>	2	3	4	5	128.17
	Block-Meskaur Jamui Pakariya To Gaya Nawada	Letter-984 Dated 22-10-21	1.535	128.17	120

अनु0-स्वीकृत प्राक्कलनों की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

₹0/-

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

ज्ञापांक:- 4283

पटना, दिनांक:-<u>1</u>3/12/21

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति सेंलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

> मुख्य अभियंता-1 ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

copy to AE/JE Meskour fer information. Kindly
Submited revise B.O.Q as per reuse
technical Sanction.

Sin Executive Engine